

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या—(1-13) 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 / 2015 / जयपुर

उनवान : मैरास ड्यूट इण्डिया होटल्स (जयपुर) प्रा० लिमिटेड, सिटी स्क्वायर मॉल, टॉक रोड, जयपुर
बनाम

सहायक आयुक्त, वृत—एन, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारील में जारी हुए
04 / 08 / 2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी द्वारा ये तेरह (13) अपीलें मय स्थगन प्रार्थना—पत्र अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के स्थगन आदेश संख्या क्रमशः अ.प्रा.—ा/स्थगन/अ.सं. 81 / 15—16, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 82, 83, 84 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक—पृथक आदेश दिनांक 15.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।</p> <p>सभी प्रकरणों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।</p> <p>प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2003 (जिसे आगे 'प्रोत्साहन योजना' कहा जायेगा) के तहत अनुदान आदेश पारित किये जाकर आलौच्य अवधि की कुल बिक्री पर देय कर राशि में से आगत कर राशि को कम करके शेष राशि की 50 प्रतिशत राशि का अनुदान स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत—एन, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा यह मानते हुए कि प्रोत्साहन योजना के तहत इकाई के स्वयं द्वारा विनिर्मित माल पर देय कर के आधार पर ही अनुदान स्वीकार्य है। अतः वेट अधिनियम की धारा 33 सपष्टित प्रोत्साहन योजना के वलॉज 9(बी)(VIII) के तहत आलौच्य अवधि के पृथक—पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.03.2015 को पारित करते हुए पूर्व में स्वीकृत अनुदान राशि को कम किया गया एवं तदनुसार ब्याज का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करते हुए, वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत मांग राशि के स्थगन हेतु प्रार्थना—पत्र भी प्रस्तुत किये गये। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15.06.2015 से अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत करते हुए, प्रकरणों में बकाया मांग राशि के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-</p> <p style="text-align: center;"><u>— टॉक</u></p>	लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या—(1-13) 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 / 2015 / जयपुर.

उनवान : मैर्सर्स ड्यूट इण्डिया होटल्स (जयपुर) प्रा० लिमिटेड, सिटी स्क्वायर मॉल, टॉक रोड, जयपुर
बनाम

सहायक आयुक्त, वृत—एन, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—						नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	अवधि	सृजित मांग	चाहा गया स्थगन	
04 / 08 / 2015	1	2	3	4	5	6	
	1.	1095 / 15	स्थगन / अ.सं.81	01.01.10 से 31.03.10	1,26,818	1,14,136	
	2.	1096 / 15	स्थगन / अ.सं.85	01.01.11 से 31.03.11	2,25,812	2,03,231	
	3.	1097 / 15	स्थगन / अ.सं.86	01.04.11 से 31.06.11	1,46,600	1,31,940	
	4.	1098 / 15	स्थगन / अ.सं.87	01.07.11 से 30.09.11	1,25,457	1,12,911	
	5.	1099 / 15	स्थगन / अ.सं.88	01.10.11 से 31.12.11	1,87,879	1,69,091	
	6.	1100 / 15	स्थगन / अ.सं.89	01.01.10 से 31.03.10	1,37,959	1,24,163	
	7.	1101 / 15	स्थगन / अ.सं.90	01.01.12 से 31.03.12	59,544	53,590	
	8.	1102 / 15	स्थगन / अ.सं.91	01.04.12 से 30.06.12	1,35,709	1,22,138	
	9.	1103 / 15	स्थगन / अ.सं.92	01.07.12 से 30.09.12	1,86,822	1,68,140	
	10.	1104 / 15	स्थगन / अ.सं.93	01.10.12 से 31.12.12	1,66,412	1,49,771	
	11.	1105 / 15	स्थगन / अ.सं.82	01.01.13 से 31.03.13	1,54,031	1,38,628	
	12.	1106 / 15	स्थगन / अ.सं.83	01.07.10 से 30.09.10	1,79,332	1,61,399	
	13.	1107 / 15	स्थगन / अ.सं.84	01.10.10 से 31.12.10	2,73,663	2,46,297	

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री अरविन्द खण्डेलवाल तथा प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलार्थी होटल व रेस्टोरेंट व्यवसाय करता है, जिसे प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान हेतु अर्हक है। कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रेडिंग बिजनेस पर अनुदान की पात्रता नहीं मानते हुए तदनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध मांग सृजित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा समस्त बिक्री विवरण प्रपत्र समय पर प्रस्तुत कर दिये गये थे। अपीलार्थी इकाई गम्भीर वित्तीय संकट में चल रही है, जिसके विरुद्ध अविधिक मांग सृजित किये जाने में कर निर्धारण अधिकारी ने त्रुटि की है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलार्थी की अपीलें मय स्थगन प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रोत्साहन योजना के तहत केवल व्यवसायी द्वारा स्वयं द्वारा निर्मित माल पर देय कर के आधार पर ही अनुदान की देयता होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तदनुसार अनुदान अस्वीकृत किये जाने में

—न—


लगातार.....3

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या—(1-13) 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 / 2015 / जयपुर.

उनवान : मैसर्स ड्यूट इण्डिया होटल्स (जयपुर) प्रा० लिमिटेड, सिटी स्क्वायर मॉल, टॉक रोड, जयपुर
बनाम

सहायक आयुक्त, वृत्-एन, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 3 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04 / 08 / 2015	<p>एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के रथगन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें मय रथगन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।</p> <p>उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।</p> <p>हस्तगत प्रकरण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.07.2003 के द्वारा घोषित प्रोत्साहन योजना से सम्बन्धित है, जिसकी अवधि दिनांक 01.07.2003 से प्रभावी है। इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन योजना के सम्बन्धित प्रावधानों का अवलोकन प्रासंगिक है, जो निम्नानुसार हैं :—</p> <p>प्रोत्साहन योजना का कलॉज संख्या 3 :—</p> <p>3. APPLICABILITY OF THE SCHEME -</p> <p>The Scheme shall be applicable to all new investments and investments made by existing units and enterprises for Modernization/Expansion / Diversification, including the units/enterprises covered under policy for promotion of Agro-processing and Agri-business, 2010 subject to the condition that such units shall commence commercial production / operations owing to such investment during the operative period of the Scheme.</p> <p>प्रोत्साहन योजना का कलॉज संख्या 4 (Definitions) का क्रम संख्या 'ddd' व 'l' निम्न प्रकार है :—</p> <p>(ddd)"Capital Investment Subsity" for new investment as well as for exspansion/modernization/diversification shall include:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Capital Investment Subsidy (Interest component), which will be a sum equivalent to 5% (percentage points) interest paid on borrowing (in case of SC/ST 6%) or at the documented rate of interest, which ever is less; and (b) Capital Investment Subsidy (Wage component), which will be a sum equivalent to: <ul style="list-style-type: none"> (i) twenty five percent of the total wage/salary being paid by the investor with respect to such workers for whom employee and employer both are contributing towards approved Provident Fund. 	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या—(1-13) 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 / 2015 / जयपुर.

उनवान : मैसर्स ड्यूट इण्डिया होटल्स (जयपुर) प्रा० लिमिटेड, सिटी स्क्वायर मॉल, टॉक रोड, जयपुर
बनाम

सहायक आयुक्त, वृत्-एन, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 4 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04 / 08 / 2015	<p>(ii) in case the investor is not availing Capital Investment Subsidy (Interest component) thirty percent of the amount of the total wage/salary being paid by the investor with respect to such workers for whom, the employee and employer are both contributing towards approved Provident Fund.</p> <p>It shall be paid back into the account of the investor by the State Government under the Scheme subject to a maximum of 50% of the tax payable under Sales Tax, CST or VAT.</p> <p>(I) “Investment” means investment of funds (whether borrowed from designated institutions i.e. Commercial banks or State or Central Government financial institutions or from own resources) in any unit/project having commercial, or industrial output of goods or services, or projects set up for such common social good as are duly recognized by the Government by an order in this respect as a qualifying sphere of activity.</p> <p>The following projects set up for common social goods are hereby recognized as qualifying spheres of activity to be covered under the definition of Investment for the purpose of grant of benefits under the scheme:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Educational Institutions. (ii) Health Institutions like Hospitals, Dispensaries, Poly Clinics, Diagnostic Centres, Research and Development Laboratories / Centres. <p>प्रोत्साहन योजना के सन्दर्भ में जारी स्पष्टीकरण क्रमांक एफ.4(18) एफडी/टैक्स डिवी./2001 दिनांक 10.10.2008 निम्न प्रकार है :-</p> <p>S.No. 2453 : F.4(18)FD/Tax-Div./2001 dated 10.10.2008</p> <p>The Government launched the Rajasthan Investment Promotion Scheme, 2003 vide this Department's order No. F.4(18) FD/Tax-Div./2001 (S.No. 1861) dated 28-07-2003 (amended from time-to-time hereinafter referred to as 'the Scheme'. It has been brought to the notice of the Government by Commercial Taxes Department that there are some issues which need interpretation of certain clauses of the Scheme. After examination of the issues, to bring in more clarity the issues are clarified under clause 11 of the Scheme, as under.-</p> 	लगातार.....5

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या—(1-13) 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 / 2015 / जयपुर.

उनवान : मैसर्स ड्यूट इण्डिया होटल्स (जयपुर) प्रा० लिमिटेड, सिटी स्क्वायर मॉल, टॉक रोड, जयपुर
बनाम

सहायक आयुक्त, वृत्-एन, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 5 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04 / 08 / 2015	<p>1. Regarding periodicity for computation of subsidy under the Scheme, it is clarified that computation of subsidy under the Scheme shall be made on quarterly basis after submission of return for the quarter along with proof of deposit of tax. It is further clarified that subsidy under clause 7 is allowable after deposit of the tax.</p> <p>2. The term "year", occurring in the scheme, means financial year.</p> <p>3. The term "tax payable" under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, is the amount of tax leviable under the Act less the amount of input tax credit, if any, for the purpose of the Scheme.</p> <p>4. Under Incentive Schemes of 1987, 1989 and 1998 the goods manufactured by such units are not exempted but the units are exempted from payment of tax under the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 and the Rajasthan Sales Tax Act, 1994. As such "tax payable" by such units is the amount of tax leviable on the taxable turnover.</p> <p>5. In case of the unit availing benefit of deferment of tax, part of tax payable is deposited by the unit and part of it is deferred for stipulated period which is paid later on in installments. In such cases it is clarified that the amount of subsidy shall be divided in proportion to the tax payable under sub-section (1) of section 20 of RVAT Act, 2003 and the amount of tax deferred under sub-section (3) of section 20 of RVAT Act, 2003 on the basis of quarterly returns. The proportionate amount of subsidy shall be allowed at the time of deposit amount of deferred tax under sub-section (3) of section 20 of the RVAT Act, 2003.</p> <p>6. Where the unit is engaged in trading of goods, other than the goods manufactured by it, subsidy is allowable only on the amount of tax payable on the sale of goods manufactured by such unit.</p> <p>अपीलार्थी प्रोत्साहन योजना के अधीन अनुदान राशि की गणना हेतु उसके द्वारा विनिर्मित माल पर बनने वाले (Output Tax) में से आगत कर (Input Tax Credit) घटाने के पश्चात जो देय कर राशि है, का विहित अनुज्ञेय प्रतिशत अनुदान राशि की गणना का आधार होगा। अपीलार्थी ने अपने अनुदान दावे में अनुदान राशि की गणना के प्रयोजनार्थ जिस कर राशि का सन्दर्भ देकर दावा प्रस्तुत किया है, वह</p>	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या—(1-13) 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 / 2015 / जयपुर.

उनवान : मैसर्स ड्यूट इण्डिया होटल्स (जयपुर) प्रा० लिमिटेड, सिटी स्क्वायर मॉल, टॉक रोड, जयपुर
बनाम

सहायक आयुक्त, वृत्-एन, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 6 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/08/2015	<p>कर राशि उसके द्वारा विनिर्मित एवं बेचे गये माल तथा ट्रेडिंग किये गये माल (खरीदकर यथावत बेचे गये माल) पर बनने वाले कर को गणना का आधार मानते हुए अनुदान दावा प्रस्तुत किया है। प्रोत्साहन योजना के अधीन जारी स्पष्टीकरण के अनुसार केवल विनिर्मित एवं विनिर्मित बेचे गये माल पर बनने वाले कर की राशि ही अनुदान राशि की गणना के प्रयोजनार्थ आधार मानी जानी विधिसम्मत राशि होती है।</p> <p>हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं प्रोत्साहन योजना के उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के प्रकाश में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील व स्थगन आधारों तथा विधिक प्रावधानों पर गहनता से विचार किये जाने के उपरान्त, प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सभी तेरह (13) स्थगन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाते हैं।</p> <p>उपरोक्तानुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  04.08.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </p>	